न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 171/2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024/202

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये जितेन्द्र बंशीवाल, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. श्री दिनेश पुत्र श्री घेवरराम जाति माली निवासी नागौर मालिक मैसर्स अनिल मोटर गैराज पंचायत समिति नागौर के पास

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा।

:: निर्णय :: **दिनांक :– 21.01.2025**

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा प्रकरण जब्तसुदा 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व नोजल, इलेक्ट्रोनिक तार, इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 कॉमर्सियल 19.3 किलोग्राम सिलेण्डर एवं 1 कॉमर्सियल सिलेण्डर 5 किग्रा को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस उनके पिता से तामिल हो जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 की तामिल पर्याप्त मानते हुवे उनके विरूद्व दिनांक 24.12.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

2. प्रार्थी की ओर से उपस्थित प्रवर्तन अधिकारी श्री शिवराम चौधरी की बहस सुनी गई। बहस में कथन किया कि घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत् नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में श्री देवाराम सारण जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक, श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 02.09.2024 को पंचायत समिति नागौर के पास मैसर्स अनिल मोटर गैराज पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की । मौके पर श्री दिनेश पुत्र श्री घेवरराम उपस्थित मिले जिन्होंनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व नोजल, इलेक्ट्रोनिक तार, इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 कॉमर्सियल 19.3 किलोग्राम सिलेण्डर एवं 1 कॉमर्सियल सिलेण्डर 5 किग्रा भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री दिनेश से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नही होना स्वीकार किया। श्री दिनेश द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही करने पर भण्डारित 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व नोजल, इलेक्ट्रोनिक तार, इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 कॉमर्सियल 19.3 किलोग्राम सिलेण्डर एवं 1 कॉमर्सियल सिलेण्डर 5 किग्रा मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	366125-T	13.1 किग्रा
2	एचपीसीएल	247075-P	14.1 किग्रा
3	एचपीसीएल	356640-S	14.1 किग्रा
4	एचपीसीएल	392482	14.1 किग्रा
5	एचपीसीएल	546073-S	14.1 किग्रा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

6	एचपीसीएल	784828-T	0
7	एचपीसीएल	663208-S	14.1 किग्रा
8	एचपीसीएल	301204-S	14.1 किग्रा
9	एचपीसीएल	040555-T	0
10	एचपीसीएल	3603665	0
11	एचपीसीएल	NOT AVAILBLE	8.7 किग्रा
12	एचपीसीएल	015249-J	1.7 किग्रा
13	एचपीसीएल	012921-B	5.5 किग्रा
14	एचपीसीएल	2260- - - -	14.0 किग्रा

उपरोक्त 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व नोजल, इलेक्ट्रोनिक तार, इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 कॉमर्सियल 19.3 किलोग्राम सिलेण्डर एवं 1 कॉमर्सियल सिलेण्डर 5 किग्रा को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गहलोत गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री प्रणय गहलोत की सुपुर्दगी मे दिये गये। है। इस प्रकार श्री दिनेश का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व नोजल, इलेक्ट्रोनिक तार, इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 कॉमर्सियल 19.3 किलोग्राम सिलेण्डर एवं 1 कॉमर्सियल सिलेण्डर 5 किग्रा को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उनके द्वारा उपरोक्त जब्त सुदा घरेलू गैस के भण्डारण एवं विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र पेश नहीं किया एवं न ही जब्ती कार्यवाही के समय कोई इस प्रकार के दस्तावेज पेश किये गये तथा न ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर कोई एतराज फाईल किया हैं,जिससे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य सही होना प्रतीत होता हैं।

4. अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण में इस निर्णय के पैरा संख्या 02 में वर्णित 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व नोजल, इलेक्ट्रोनिक तार, इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 कॉमर्सियल 19.3 किलोग्राम सिलेण्डर एवं 1 कॉमर्सियल सिलेण्डर 5 किग्रा को मय गैस को समपहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 14 गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन एवं अन्य जब्त सुदा सामग्री का जरिऐ निलामी निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी,नागौर निर्देश दिया जाता हैं। रसद अधिकारी नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर